संख्या-11/2015/136/38-4-15-08(बजट)/2013

प्रेषक,

उमाकान्त पाठक,
अनु सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0 लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक: 11 मार्च, 2015**

विषय:- इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वय हेतु वित्तीय वर्ष, 2014-15 में अनुदान संख्या- 13 में केन्द्रांश एवं मैचिंग राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति । (75 प्रतिशत-25 प्रतिशत)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1063/सम्प्रेक्षा/इ0आ0यो0/2014-15,दिनांक-21 जनवरी, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष-2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-13 में प्राविधानिक धनराशि अनुपूरक मांग सहित रू0-118801.670 लाख में से शासनादेश संख्या -545/38-4-14-08 (बजट)/2013, दिनांक-08 मई, 2014 द्वारा रू0- 180.00 करोड शासनादेश संख्या-936/38-4-14-08(बजट)/2013, दिनांक-31 जुलाई,2014 द्वारा रू0-37711.413 लाख, शासनादेश संख्या-1186/38-4-14-08 (बजट)/2013, दिनांक-11 नवम्बर,2014 द्वारा रू0-894.404 लाख, शासनादेश संख्या-1251/38-4-14-08 (बजट)/13, दिनांक-13 नवम्बर,2014 द्वारा रू0-394.087 लाख, शासनादेश संख्या-1330/38-4-14-08 (बजट)/13, दिनांक-26 नवम्बर,2014 द्वारा रू0-4618.594 लाख एवं शासनादेश संख्या'-1/1490/38-4-14-08 (बजट)/2013 दिनांक-16 जनवरी, 2015 द्वारा रू0-155.133 लाख तथा शासनादेश संख्या-3/39/38-4-15-08 (बजट)/2013 दिनांक-20-01-2015 द्वारा रू0-20809.403 लाख की वित्तीय स्वीकृत दी जा चुकी है। उक्त प्राविधानित के अवशेष धनराशि में से इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-13 में केन्दांश की धनराशि रू0-61.016 लाख एवं मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू0-20.339 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0-81.355 लाख (रूपये इक्यासी लाख पैंतीस हजार पॉच सौ मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृत श्री राज्यपाल महोदय, निम्न प्रतिबन्धों /शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

1- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का उपयोग अनुमन्य धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो और आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुए निर्माण कार्यो की गुणवत्ता से भी सन्तुष्ट हों।

2- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगा, के पश्चात् ही किया जायेगा।

3- समस्त व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये।

4- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्/ लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समार्पित किया जायेगा।

2/-

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.nic.in

5- इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के अशासकीय पत्र संख्या-बी-1-2457/दस-2014 231/2014, दिनांक-22 जुलाई,2014 में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष, 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक" 4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-800-अन्य व्यय-02-इन्दिरा आवास योजना (जिला योजना)-0201-इन्दिरा आवास योजना (जिला योजना) (के0-75/रा-25-के0$+रा0)-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में यह भी अनुरोध है कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध करायेंगो

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के अशासकीय पत्र संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(उमाकान्त पाठक)
अनु सचिव ।

संख्या-11/2015/136(1)/38-4-2015 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, बागपत ।
3- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
4- सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक एवं जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
7- सम्बन्धित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
9- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
10- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
11- गार्डबुक ।

आज्ञा से,

(उमाकान्त पाठक)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।